न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 47 / 14 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :— 2014 / 00084

उनवान

1. शारदा वेवा ओमप्रकाश
2. कमल सिंह } पिस0 ओमप्रकाश
3. रामअवतार
4. अशोक
5. रामनिवास
6. बंगाली सिंह पुत्र श्याम सिंह

} अकवाम ठाकुरान निवासी ग्राम दौपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. जगदीश } पिसरान सूरजभान कौम ठाकुर निवासी ग्राम दौपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. विनोद
3. तहसीलदार
4. भगवानदेई वेवा शंकर (फौत)
   - 4 / 1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र भगवानदेई
   - 4 / 2. तेज सिंह पुत्र भगवान देई
   - 4 / 3. कृष्णा पुत्री भगवानदेई
   - 4 / 4. दयावती पुत्री भगवानदेई
5. धर्म सिंह पुत्र शंकर सिंह
6. ममता पत्नी स्व0 मान सिंह
7. मोहित } नाबालिग पुत्रगण मान सिंह
8. हर्षित } सरपरस्ती माता ममता

} जाति ठाकुरान निवासीगण ग्राम दौपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

9. सीयाकुमारी वेवा शिवराज सिंह
10. सोनू पुत्र शिवराज सिंह
11. सविता } पुत्रियान शिवराज सिंह
12. पूजा

} अकवाम ठाकुरान निवासी ग्राम दौपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

13. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बसेडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. सार्वजनिक निर्माण विभाग बसेडी जरिये सहायक अभियन्ता।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर।
16. सचिव ग्राम पंचायत दौपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.01.2013 व डिक्री दिनांक 31.01.13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी मि.नं. 30 / 12 उनवानी जगदीश बनाम शंकर सिंह।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक–07.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 10.01.2013 व डिक्री दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये संयुक्त रूप से काश्त करने में आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे के लिये झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 27.07.2012 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार से विभांजन प्रस्ताव तलव किये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2013 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर अग्रिम पेशी पर ही दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया। प्रकरण में कई प्रतिवादियों को तो सम्मन ही जारी नहीं हुये एवं मूल सम्मन पत्रावली में संलग्न हैं। प्राथमिक डिक्री में विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की उपस्थिति में बनाने के निर्देश थे। परन्तु विभाजन प्रस्ताव ना तो पक्षकारो की उपस्थिति में तैयार किये गये एवं ना ही तहसीलदार द्वारा ही तैयार किये गये हैं। जबकि विभाजन के प्रकरणो में विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को बनाया जाना आवश्यक है। विभाजन प्रस्तावो पर स्वयं वादीगण रैस्पो0 ने आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु उनकी आपत्ति खारिज कर दी गयी। जिस पर वादीगण रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे बाद में उन्होनें विदड्रा कर लिया। खसरा नम्बर 235, 236, 237 सडक से लगे हुये नम्बर हैं, जो रैस्पो0 को दे दिये गये। अंत में अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2019(2) पेज 1050, आरबीजे 2022 पेज 632, 447, आरआरटी 2011(2) पेज 1150 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पो0 ने जो अपील न्यायालय हाजा में की गयी थी वह केवल खसरा नम्बर 296 से संबंधित थी। अधीनस्थ न्यायालय में सभी पर विधिवत तामील हुयी है। शारदा की तामील बेटा कमल सिंह पर हुयी है। कमल सिंह की तामील स्वयं पर हुयी है। रामवतार की तामील भाई कमल सिंह पर हुयी है। इसके अलावा अपीलाण्ट अपना सारा हिस्सा विक्रय कर चुके हैं। इस प्रकार उनको अपील करने का अधिकार ही नहीं रहा। शंकर सिंह की विरासत और विक्रय का नामान्तकरण जिला कलक्टर, श्रीमान् अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा खारिज किया जा चुका है। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। पंजीयन विभाग की मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 235, 236, 237 पर कब्जा जगदीश सिंह का बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में क्रेता पक्षकार नहीं था। अतः उसे अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर धारा 52 टीपी एक्ट, धारा 96, आरआरटी 2024 पेज 399, आरआरडी 2001 पेज 396, 2009 पेज 661, 1989 पेज 224 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधनीस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील लगभग 2 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि पूर्व में रैस्पो0 द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर रखी थी। परन्तु बाद में उक्त अपील को रैस्पो0 ने विदड्रा कर लिया। इस कारण अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करनी पडी। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। हमने गौर किया प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी। चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः उसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के सम्मन एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में समुचित तामील होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 18.06.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 27.07.2012 नियत की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पेशी दिनांक को ही प्रतिवादी अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

जाकर दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर अंकित हो रहे हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये हैं। उपबटा नम्बरो का कोई नजरी नक्शा भी विभाजन प्रस्तावो के साथ संलग्न नहीं है। अतः प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 10.01.2013 व डिक्री दिनांक 31.01.2013 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में तहसीलदार स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में कुर्रे प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त कुर्रे प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों की स्पष्ट विवेचना कर, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर